न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–10/2018

दिनांक 16–01–2019

उनवान

श्री शंकरलाल पिता मोहन ढोली वयस्क निवासी पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ

..............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–1.श्री मोहम्मद रईस वकील प्रार्थी
2. तहसीलदार भदेसर

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थी के खरीदशुदा आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम गरदाना पटवार हल्का गरदाना भू0अ0नि0 क्षेत्र आसावरा तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या नये 258 पुराने 255 में अंकित आराजी नम्बर 993/1197 रकबा 4 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड रही है जिसके वर्तमान में सेटलमेन्ट होने से नई खाता संख्या 346 में अंकित नये आराजी नम्बर 1592 रकबा 1.0100 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2071–2074 एवं जमाबन्दी आधार वर्ष व पुराने नक्शा ट्रेस मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र की गई है ।

16.1.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2. यह कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 993/1197 का साबिक नक्शा जो राजस्व रेकार्ड में तरमीम है दौराने सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक भू प्रबन्ध करते हुए प्रार्थी के नक्शे में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नवीन नक्शा कायम किया जो प्रार्थी के हितों के मुकाबले शून्य है । भू प्रबन्ध अधिकारियों को कदापि ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था इसके विपरित जाते हुए प्रार्थी की आराजीयात को बिलानाम सरकार की आराजीयात के नक्शें में मिला दिया जबकि प्रार्थी आज भी अपनी खरीदशुदा आराजीयात पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रा है इसलिए भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा की गई नक्शें में त्रुटि को दुरुस्त करा साबिक अनुसार नक्शें में कायमी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया या है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भदेसर द्वारा जांच रिपोर्ट ली गई जिन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मौजा गरदाना के साबिक आराजी नम्बर 993/1197 रकबा 4 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1592 रकबा 1.01 हैक्टैयर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये है जो वादी 'शंकरलाल पिता मोहन ढोली निवासी पुठोली के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । साबिक नम्बर 993 के ही नवीन आराजी नम्बर 1592 एवं 1593 वक्त सेटलमेन्ट द्वारा बनाये गये जो साबिक नक्शा आराजी नम्बर 993/1197 के अनुसार नहीं बनाये गये अतः साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शें में प्रस्तावित आराजी नम्बर 1593/1 रकबा 1.01 हैक्टेयर वादी शंकरलाल पिता मोहन ढोली के नाम दर्ज करने एवं आराजी नम्बर 1592 जो वादी के खातेदारी है बिलानाम दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है ।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे प्रमाणित होता है कि भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1592 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री रामा नायक से कय करने से खातेदारी में दर्ज हुई है किन्तु मूल खातेदार के उक्त आराजी के साबिक नम्बर 993/1197 रकबा 4.00 बीघा थी किन्तु भू प्रबन्ध से इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:32 IST
Reason: SelfAttested

16.1.19

Scanned by TapScanner

आराजी के आराजी नम्बर 1592 एवं 1593 बनाये गये है जबकि तहसीदार भदेसर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी आराजी नम्बर 1593/1 रकबा 1.01 हैक्टैयर पर काबिज है जो नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित की गई है तथा प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 1592 रकबा 1.01 हैक्टेयर को बिलानाम किये जाने की अनुशंषा की गई है ।

चूंकि आराजी नम्बर 1592 एवं 1593 साबिक आराजी नम्बर 993 से ही बना है अतः तहसीलदार भदेसर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज ग्राम खोडिप की आराजी 1592 रकबा 1.0100 हैक्टैयर भूमि के स्थान पर प्रार्थी के कब्जे व प्रस्तावित नक्शें अनुसार आराजी नम्बर 1593/1 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकार्ड में शुद्वि से अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी की आ0न0 1592 रकबा 1.0100 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

16.1.19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:05:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner